04.03.25 वकील वादी प्रार्थी बनाम फरीकान
उपस्थित/अनुपस्थित/श्रीमान पीठासीन
अधिकारी महोदय अन्य कार्य में व्यस्त
पर है। अतः पत्रावली वास्ते पूर्व.
दिनांक 30.04.25

30.04.25 आज यह पत्रावली पेश हुई बमुलाहिजा पक्षकारान उपस्थित मत आदेशानुसार वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 18-6-25 को पेश हो।

18.06.25 ~~पत्रावली पेश हुई~~ बमुलाहिजा पक्षकारान उप./पूर्व. वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 08.08.25 को पेश हो।

08.08.25 आज यह पत्रावली पेश हुई बमुलाहिजा पक्षकारान उप. उन्हें सुना गया पत्रावली एवं उनके प्रस्तुत दस्तावेजों रिकार्ड का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि भूमि का बाटा मौके एवं कागजात विभाजन नहीं हुआ है।

--- लगातार

सहखातेदार का प्रत्येक इन्च पर कब्जा माना जाना वाजिब है ऐसी सूरत मे अनावश्यक मुकदमा बाजी नहीं बढे व कानूनी पेचीदगीयां पैदा नही हो इसको ध्यान मे रखते हुए प्रा० पत्र स्वीकार किया जाता है तथा दिनांक 21.10.20 को जारी सुदा अस्थाई निषेधाज्ञा का फैसला मूल वाद कायम किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा सलंग्न मूल वाद हो।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर) राज०
[illegible]